


45



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2019/

निगरानी-0342/2019/गुना/भू०१७

श्री लखन सिंह वरुण, ए. -
द्वारा आज दि. 28/02/19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 08/03/19 नियत।

कलकत्ता कोर्ट 28.2.19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1- राधेश्याम मीना पुत्र देवीलाल मीना
- 2- गोविंदसिंह पुत्र देवीलाल मीना
- 3- श्रीराम पुत्र देवीलाल मीना
- 4- रामकैलाश पुत्र देवीलाल मीना
निवासीगण- ग्राम बडोदिया, तहसील
चाचौडा, जिला गुना.....आवेदकगण
बनाम
म.प्र.शासनअनावेदक

L.S. Dhaware
28/02/19

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959, न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 48/2017-18/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.05.18 के विरुद्ध जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 135/5 रकबा 1.500 हैक्टेयर जो ग्राम बडोदिया, तहसील चाचौडा, जिला गुना में स्थित है। उक्त विवादित भूमि को विक्रय किये जाने हेतु एक अनुबंध पत्र दिनांक 15.06.02 मांगीलाल काछी ने अपीलार्थीगण के हित में संपादित किया था। उक्त अनुबंध पत्र का मांगीलाल के द्वारा पालन न करने पर आवेदकगण द्वारा (मृतक) मांगीलाल पुत्र रामदयाल काछी के विरुद्ध एक सिविल दावा प्रकरण क. 137ए/2001 प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 16.07.02 को समझौता पेश कर पंजीयन कराने का निवेदन कर वाद को डिकी करवाया, वाद डिकी होने के बाद मांगीलाल ने उसका पालन नहीं किया, तब आवेदकगण की ओर से एक प्रवर्तन कार्यवाही के लिए आदेश 21 सी.पी.सी.के तहत पालन कराने हेतु पेश किया गया उक्त कार्यवाही के दौरान मांगीलाल की मृत्यु हो गई, तब उसके वारिसान अभिलेख पर लिये गये माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.02 एवं संसोधित डिकी दिनांक 31.10.13 के पालन में 17.12.14 को उक्त न्यायालय ने विक्रेता मांगीलाल के वारिसान की ओर से

707
01/06
28/2/19

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 342/2019/गुना/भू0रा0

राधेश्याम मीना आदि

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षक से एवं अभियंताओं के हस्ताक्षर
07-8-2019	<p>आवेदक अभिभाषक श्री लखनसिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक शासकीय अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मौखिक रूप से प्रकरण आगे संचालित न कर इसी स्तर पर समाप्त करने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>(जे 0क0 जैन) सदस्य</p>	